

-:: संशोधित आदेश ::-

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-1 दिनांक 08.06.15 के द्वारा क्रम संख्या 30, 31, 32, 33 व 34 पर अंकित चिकित्सकों के आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

S. No	नाम अधिकारी	पद	कहां से	कहां को	विवरण
1	डा0 राजेश बारूपाल	क.वि. एनेस्थिसिया	राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी नागौर	सीएचसी डेगाना नागौर	डा. संजय केडिया के स्थान पर
2	डा0 संजय केडिया	क.वि. सर्जरी	सीएचसी डेगाना नागौर	राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी नागौर	डा. बारूपाल के स्थान पर
3	डा0 राजकुमारी वर्मा	चि.अ. गायनी	राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी नागौर	सीएचसी डेगाना नागौर	डा. उषा चौधरी केडिया के स्थान पर
4	डा0 उषा चौधरी केडिया	चि.अ. गायनी	सीएचसी डेगाना नागौर	राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी नागौर	डा. वर्मा के स्थान पर
5	डा0 चैनाराम	चि.अ.	पीएचसी शेरानीआबाद नागौर से सीएचसी डेगाना स्थानान्तरणाधीन	पीएचसी गवारडी नागौर	रिक्त पद पर

उक्त स्थानान्तरणों में प्रभावित चिकित्सकों को नियमानुसार कार्यग्रहण अवधि व यात्रा भत्ता देय होगा।

तथा आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/SQ-1 दिनांक 08.06.15 में क्रम संख्या 39 पर डा. दीपेन्द्र बुगालिया व क्रम संख्या 40 पर डा0 प्रकाश कुमार के आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव व मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1), राजस्थान, जयपुर।
- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, संबंधित।
- निदेशक (ई.एस.आई.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थानान्तरित चिकित्सकों को संबंधित चिकित्सा संस्थानों में समकक्ष अथवा उच्च रिक्त पदों पर निश्चित रूप से कार्यग्रहण करावें व पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण करवाकर अधो-हस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त करें।
- संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
- प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।
- आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।